

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद के निम्नांकित शिक्षा अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन नियम) 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 07 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहे जाने की दिनांक
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती रंजना गोयल (RJJP199218016377)	09-02-1969	प्रधानाचार्य	रा.वा.उ.मा.वि., गोविन्द नगर पूर्व (218921) ब्लॉक जयपुर पूर्व, जिला जयपुर	01-11-1992	31-08-2023

उपर्युक्त कार्मिक के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 17/7/2023

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/रंजना गोयल/2023-10184

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर मुख्यालय।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर पूर्व, जयपुर/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि उक्त उल्लेखित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले प्रधानाचार्य एवं समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, वि.जांच/डी.पी.सी./वरिष्ठता अनुभाग/शाला-दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा।
- प्रभाग प्रभारी बी-1/2(संस्थापन एबी) कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि शाला-दर्पण पोर्टल पर कार्मिक की अद्यतन विभागीय स्थिति की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director, निदेशक (कार्मिक)

Date: 2023.07.17 17:49:17 IST

Reason: Approval, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

RajKaj Ref No. : 4274099



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य व समकक्ष पद के निम्नांकित शिक्षा अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन नियम) 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 07 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री भोपराज साहू	02-09-1964	प्रधानाचार्य	राउमावि अम्बावली, छोटीसादड़ी, प्रतापगढ़	11-10-1989	01-08-2023
02	श्री दिनेश कुमार सहलोट	21-02-1964	प्रधानाचार्य	राउमावि धीरजी का खेड़ा, भदेसर चित्तौड़गढ़	15-10-1986	01-08-2023
03	श्रीमती गायत्री मिश्रा	06-01-1966	प्रधानाचार्य	राउमावि नेतावलगढ़ पाछली चित्तौड़गढ़	11-11-1991	02-08-2023
04	श्री अशोक कुमार नाई	10-02-1968	प्रधानाचार्य	राउमावि भोजूसर उपाधियान सरदारशहर, चूरू	17-12-1994	01-08-2023

उपर्युक्त कार्मिकों के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- अतः इनकी सेवाएँ संतोषजनक रही हैं।

(काना राम)

आई.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था-एबी/ए-2/स्वै.से.नि./2022

दिनांक: 18/7/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, संबंधित संभाग मुख्यालय।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि उक्त उल्लेखित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले प्रधानाचार्य, उप-प्राचार्य एवं समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पर कार्मिक की विभागीय स्थिति अद्यतन करें।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक की अद्यतन विभागीय स्थिति को कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- अनुभाग अधिकारी, डी.पी.सी./वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- प्रभाग, संस्थापन बी1-2, अनुभाग हाजा।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director

Date: 2023.07.17 23:06:07 +05'30' (कार्मिक)

Reason: Approved शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

RajKaj Ref No. : 4244199



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद के निम्नांकित शिक्षा अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन नियम) 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 07 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहे जाने की दिनांक
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती श्रद्धा महरिश (RJJ198918014643)	11-08-1969	प्रधानाचार्य	रा.उ.मा.वि, उरसेवा (218832), ब्लॉक-दूदू जिला-जयपुर	07-10-1989	14-08-2023

उपर्युक्त कार्मिक के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 17/7/2023

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/श्रद्धा महरिश/2023-09851

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर मुख्यालय।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दूदू, जयपुर/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि उक्त उल्लेखित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले प्रधानाचार्य एवं समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, वि.जांच/डी.पी.सी./वरिष्ठता अनुभाग/शाला-दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा।
- प्रभाग प्रभारी बी-1/2(संस्थापन एबी) कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि शाला-दर्पण पोर्टल पर कार्मिक की अद्यतन विभागीय स्थिति की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram (कार्मिक)
Designation: Director of Education, Bikaner
Date: 2023.07.17 19:49:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4260543

